1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

प्र/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0180

1. वीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व. लक्ष्मनसिंह
2. राघवेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व. लक्ष्मनसिंह

निवासी ग्राम कदारी तह. छतरपुर
जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. प्रकाशचंद्र पांडे तनय शिवदत्त पांडे

निवासी ग्राम नरसिंहगढपुरवा तह. छतरपुर
जिला छतरपुर ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मंडल तह. व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5/12/17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र 2 द्वारा भूमि खसरा क्र 1255/1, 1555/2, 716, 719, 1200/1, 1201/1, 1204/1, 1205, 1248 क्रमशः रकवा 2.023, 1.509, 0.522, 0.032, 0.099, 0.141, 0.320, 0.134, 1.182 हे स्थित ग्राम कदारी के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/980 वीरेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 4.1.19 सदस्य	